

प्रेषण,

श्री अलोक गांगुली,  
तदुक्ता विविध  
उत्तर प्रदेश जातन ।

तेवा मे.

संघित  
कन्दूव भाष्यमिल लिखा परिषद्  
लिखा केन्द्र 2 तम्बाय केन्द्र  
प्रतिक्रिया विहार नई दिल्ली ।

लिखा 171 अनुभाव

विषय:-

महोदय,

उपर्युक्ता कियक पर युक्त यह कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसा रकाडेमी न्यू चूड़ी फैट देवरादून को ती०बी०स०इ० नई दिल्ली से तम्बाय प्रदान किये जाने में ज्ञ राज्य तरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अन्त आपत्ति नहीं है :-

1.1 विद्यालय की पंचीन्द्री त्रौतायदी का सम्बन्ध सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

1.2 विद्यालय की प्रबन्ध नियमित लिखा निर्देश द्वारा नामित एक नाटक दौवा ।

1.3 विद्यालय में कम ते कम दत प्रतिक्रिया स्थान अनुशृण्णित जाति/अनुशृण्णित क्षमाता के बच्चों के लिए तुरंगित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक लिखा परिषद् द्वारा जीवानित विद्यालयों में विभिन्न क्षागों के लिए निर्धारित दृष्टि नहीं लिया जायेगा ।

1.4 संस्था द्वारा राज्य तरकार से किसी अनुठान की मांग नहीं की जायेगी और यह पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक लिखा परिषद् ते विभिन्न विद्यालय के लिए लिखा परिषद्/कोलिय कार हीडिशन द्वारा तटींसिलेट इक्कामिलान नई दिल्ली है प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद्दों से तम्बाय प्राप्त होने की तिथि ते परिषद् द्वे मान्यता तथा राज्य तरकार है अनुठान स्थलः तम्बाय हो जायेगी ।

1.5 दूसरा ऐधिक एवं लिखान्तर कर्मातियों को राज्यीय तहायता प्राप्त लिखा तंत्याज्ञों के कर्मातियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

1.6 कर्मातियों द्वारा तेवा जैसी कायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त ज्ञातीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मातियों की अनुमन्य तेवा निवृत्ति का सामन अपनाय जायेंगे ।

*Attached  
marked  
17/8*  
जिला विद्यालय निरीक्षा  
देवरादून

17। राज्य तरकार द्वारा सम्मतिय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/जिकारों में रखा जायेगा ।

19। उपर शतों में राज्य तरकार के पूर्वानुमोदन के बिना जोई परिवर्ती तस्थीकरण वा परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तस्था द्वारा वह तुनिश्चियत किया जायेंगे ।

3। विद्यालय में यथा सम्म ईपी०स्ट० योजना तात्पूर करके इसके अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।

4। विहान प्रयोगशाला में व्याख्यान क्ष्य तथा पुस्तकालय में झड़ार क्ष्य न रखे जाय ।

5- उपर प्रतिबन्धों का पालन करना तस्था के लिए अनियार्थ होगा और यदि किसी सम्म घड़ पाया जाता है कि तस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया वा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक घा गिरिधारा वरती वा रही है तो राज्य तरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ने निया जायेगा ।

मम्पटीय,

अग्रीक गाँगी।  
तात्पूरता तथिव ।

पृष्ठा 309411/15-7-1996 तदटिकांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ सर्व आक्षयक शर्याही द्वारा

प्रकाशित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मार्डीय संस्कृतालय निदेशक, देहरादून ।
- 3- किए विद्यालय, निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- प्रवितीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ब्रेस स्कॉलरी न्यू गढ़ी ऐट देहरादून ।

आइता,

अग्रीक गाँगी।  
तात्पूरता तथिव ।

Attested  
under  
जला विद्यालय नियिक  
देहरादून  
17/4